प्रेषक

निदेशक,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ ।

सेवा में

1. वरिष्ठ नगर योजनाकार, गुडगांव ।
2. वरिष्ठ नगर योजनाकार, हिसार ।
3. वरिष्ठ नगर योजनाकार, पंचकूला ।
4- वरिष्ठ नगर योजनाकार (ई0 एवम विजिलैंस) मुख्यालय, चण्डीगढ ।

यादी कमांक–आर–293–8डीपी–2005/5468–71 दिनांक 13/06/2005

विषयः– पेट्रोल पम्प के केसों में कम्पोजीशन फीस लेने बारे दिशा निर्देश ।

वरिष्ठ नगर योजनाकार, गुडगांव के यादी कमांक–2190, दिनांक 2.6.2005 द्वारा मांगे गए मार्ग दर्शन के संदर्भ में ।

2 निदेशालय के ध्यान में लाया गया है, कि परिमण्डल कार्यालयों द्वारा पेट्रोल पम्प के केसज में आकूपेशन जारी करते समय भूमि उपयोग में परिवर्तन के पश्चात, परन्तु आकूपेशन से पहले मशीने स्थापित कर पेट्रोल पम्प चलाया जाता है, तो दो लाख की कम्पोजीशन फीस वसूल करने बारे नोटिस दिये जाते हैं । इस विषय में मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है, कि जिन केसिज में भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति प्रदान किये बिना पेट्रोल पम्प चलाए जाते हैं, एवम भवन निर्माण किये जाते हैं, तो वहां अवैध रूप से पेट्रोल पम्प चलाए जाने के लिए दो लाख रूपये की कम्पोजीशन फीस वसूल की जायेगी व अवैध भवन बनाने के लिए विभागीय नीति अनुसार कम्पोजीशन फीस वसूल की जायेगी । परन्तु जिन केसिज में भूमि उपयोग में परितर्वन की अनुमति लेने के पश्चात मशीने स्थापित कर पेट्रोल पम्प चलाए जाते हैं, तो उपरोक्त दो लाख की कम्पोजीशन फीस लागू नहीं होगी । पेट्रोल पम्प मालिक/कम्पनी को जोनिंग प्लैन/भवन प्लैन अनुमोदन पश्चात नियमानुसार भवन निर्माण का कम्पलीशन/आकूपेशन प्राप्त करना होगा । भवन निर्माण में यदि भिन्नताएं पाई जाती हैं तो विभागीय नीति अनुसार कम्पोजीशन फीस देय होगी ।

3 भविष्य में केसिज का निपटान करते समय इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें ।

जिला नगर योजनाकार (मु0)
कृतेः निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ ।